29/9/23
31/5/24
14/6/24

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई मुकाम अराई (अजमेर)

• छोटू पुत्र सोदान उम्र 70 साल जाति खटीक निवासी ग्राम मामोलाव तहसील अराई जिला अजमेर राज. व अन्य —प्रार्थी

बनाम

• काना पुत्र हीरा जाति रेगर निवासी ग्राम अराई व अन्य तहसील अराई जिला अजमेर राज. वगै —अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा— अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज. अधिनियम1956

नंबर 05/2022

ऑनलाइन नंबर 2022/ 110

वकील अप्रार्थीगण श्री ओ.पी. शर्मा

वकील प्रार्थी :— विजेन्द्र सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
15.09.2022	यह प्रार्थना पत्र वकील वादी श्री विजेन्द्र सिंह ने अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज.अधि. 1956 के तहत पेश किया गया। वकील वादी को वाद पत्र पर सुना गया एवं वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 28.10.2022 को पेश हो। VS 15.9.22 उपखण्ड अधिकारी अराई	
28/10/22	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप०/अप्रार्थी सं० 1 से 9 व 11 से 19 के तामिलशुदा नोटिस शा.मि./ अप्रा.नं. 10 तामिल कुनिंदा की रिपोर्ट मुताबिक मृतक रहते हैं। अप्रा.नं. 1 से 9 व 11 की ओर से वकील श्री योगेश शर्मा व प्रकाश चन्द द्वारा वकालतनामा पेश जो शा.मि./ P.O. सा. आज राजकार्य हेतु अन्यत्र पधारे पत्रावली दिनांक 4/12/22 को पेश हो	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
31/10	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.। ....बहस हेतु.... पत्रावली दिनांक 19.11.19 को पेश हो WD उपखण्ड अधिकारी अराई	TDR जारी [illegible]
19/11	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली का मनन किया गया। पत्रावली के दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। [illegible] पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर [illegible] जमा हो। WD	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

विधिक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 105 / 2022

छोटू पुत्र सोदान उम्र 70 वर्ष लगभग तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान जाति खटीक निवासी ग्राम भामोलाव

प्रार्थी

बनाम

1– काना पुत्र हीरा उम्र बालिग जाति रैगर
2– गोकुल पुत्र रामदीन उम्र बालिग जाति रैगर
3– गंगादेवी पत्नी रामदीन उम्र बालिग जाति रैगर
4– पूरणमल पुत्र भागीरथ उम्र बालिग जाति रैगर
5– बंशीलाल पुत्र भागीरथ उम्र बालिग जाति रैगर
6– मनफुल पुत्री रामदीन उम्र बालिग जाति रैगर
7– लालीदेवी पुत्री रामदीन उन्न बालिग जाति रैगर
8– विश्राम पुत्र रामदीन उम्र बालिग जाति रैगर

9– शंकर पुत्र रामदीन उम्र बालिग जाति रैगर

10 सुरज्ञान पत्नी ताराचन्द उम्र बालिग जाति रैगर

11– गोकुल देवी पत्नी बंशीलाल उम्र बालिग जाति रैगर

12– प्रहलाद पुत्र लक्ष्मणराम उम्र बालिग जाति जाट

13– रामसिंह पुत्र लक्ष्मणराग उम्र बालिग जाति जाट

14– हरिराम पुत्र लक्ष्मणराम उम्र बालिग जाति जाट

15– कमला पुत्री प्रभू उम्र बालिग जाति रैगर

16– किशनलाल पुत्र प्रभू उम्र बालिग जाति रैगर

17– सेठाराम पुत्र प्रभू उम्र बालिग जाति रैगर

18– विष्णु पुत्र प्रभू उम्र बालिग जाति रैगर

1 से 18 सर्व निवासी भामोलाव तहसील अराई जिला अजमेर राज०

19– राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहव अराई जिला अजमेर राज०

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

निर्णय दिनांक

वकील वादी श्री विजेन्द्रसिंह एडवोकेट

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री विजेन्द्रसिंह एडवोकेट .द्वारा अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 15.9.

WD

2022 को माननीय न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज रजिस्टर क्रमांक 105/2022.पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की जरिये नोटिस तलबी की गई।

वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 172 खसरा संख्या 1373/682 रकबा 0.8090 हेक्टेयर किस्म गे०मु० छापर ग्राम भामोलाव पटवार हल्का भामोलाव, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सिरोंज, तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है।प्रार्थी अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी की कृषि भूमि पर बदस्तुर खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है तथा प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड मे खातेदारी का अमल दरामद है तथा राजस्व नक्शा ट्रेस मे भी प्रार्थी की भूमि का इन्द्राज चला आ रहा है। प्रार्थी की खसरा संख्या 1372/682 के उत्तर दिशा मे खसरा संख्या 681 रकबा 4.2715 हेक्टेयर भूमि स्थित है जिसके खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 1 से 10 है, प्रार्थी की भूमि के दिक्षिण दिशा मे खसरा संख्या 1374/682 रकबा 1.4562 हेक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण 11 से 14 की भूमि स्थित है। प्रार्थी की कृषि भूमि के पश्चात में खसरा संख्या 1359/672 रकबा 0.8090 हेक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 15 से 18 की है। प्रार्थी की कृषि भूमि के पूर्व में खसरा संख्या 1372/682 पाल स्थित है।प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन उपरोक्त भूमि को लेकर सीमा विवाद चलता रहता है, अप्रार्थीगण 1 से 18 आये दिन प्रार्थी की भूमि मे हस्तक्षेप करते रहते है जिससे प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद का विषय बना रहता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 आये दिन प्रार्थी की भूमि की सीमाओं से छेडछाड करते रहते है तथा उसकी कृषि भूमि की सीमाओं के संबंध में विवाद पैदा करते रहते है।

उपरोक्त खसरा नम्बरान के मध्य सीमा विवाद होने की वजह से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 आये दिन प्रार्थी के साथ उसकी खातेदारी भूमि पर विवाद उत्पन्न करने की वजह से प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 के श्रीमान तहसीलदार महोदय अरांई के आदेश क्रमांक/भू.अ./सीमाज्ञान / 2022/32 दिनांक 25.04.2022 की पालना मे दिनांक 16.06.2022 को मौके पर पहुंचे तो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 ने मौके पर नाप वौक नहीं करने दिया एंव पडोसी खातेदारों ने सीमाज्ञान करने पर एतराज जताया व मौके पर विवाद होने की स्थिति पैदा हो गई जिससे सीमाज्ञान नहीं किया जा सका। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 के मध्य स्पष्ट रेवेन्यु रेकार्ड व ट्रेस मे दर्ज है इसलिये प्रार्थी को उपरोक्त राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाओं के विवाद के निस्तारण हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थीगण संख्या 19 राजस्व रेकार्ड धारक है तथा राज्य सरकार का भू–अभिलेख प्रतिनिधि है इसलिये सीमा विवाद एंव पत्थरगढी करवाने हेतु आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। वकील वादी ने प्रार्थी की भूमि खाता संख्या 172 खसरा संख्या 1373/682 रकबा 0.8090 हेक्टेयर किस्म गे०मु० छापर ग्राम भामोलाव पटवार हल्का भामोलाव, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सिरोंज, तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है कां भोतिक सत्यापन करवाकर पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है ।

प्रकरण दिनांक 15.9.2022 को दर्ज रजिस्टर किया गया । तथा नोटिस तामिली हेतु भिजवाये गये। दिनांक 28.10.22 को प्रतिवादीगण 1 से 9 व 11 से 19 के तामिलशुदा नोटिस प्राप्त हुए अप्रार्थी संख्या 10 अदम तामिल प्राप्त हुए । दिनांक 19.9.2025 को अप्रार्थी संख्या 10 का नाम तर्क हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । दिनांक 19.11.2025 को बहस सुनी गई । तहसीलदार अराई की जाच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज है । हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। :पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया गया । वकील वादी की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी की भूमि खाता संख्या 172 खसरा संख्या 1373/682 रकबा 0.8090 हेक्टेयर किस्म गे०मु० छापर ग्राम भामोलाव पटवार हल्का भामोलाव, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सिरोंज, तहसील अरांई जिला अजमेर का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1000/–रु पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रु जमा करवाने पर वे मौके पर उपस्थित होकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक ....को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)